


सुरक्षा विभाग

रे.सु.ब. विभाग का पदानुक्रम



I. परिचय:

नांदेड़ मंडल की सुरक्षा शाखा का नेतृत्व एक मंडल सुरक्षा आयुक्त करते हैं, जिसकी सहायता एक सह.मंडल सुरक्षा आयुक्त करते हैं जिसका मुख्यालय नांदेड़ में भी है।

II. अपराध की स्थिति:

• आरपी (यूपी) अधिनियम के तहत प्रदर्शन

वर्ष	बुक केसेस	बरामद संपत्ति का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	
			बाहरी व्यक्ति	रेलवे कर्मचारी
2018	31	140175	42	0
2019	36	138765	44	0
2020	14	193164	19	0

• रेलवे अधिनियम के तहत प्रदर्शन:

रेलवे अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति और धारा	2018		2019		2020	
	पंजीकृत मामलों की संख्या	वसूली की गई राशी	पंजीकृत मामलों की संख्या	वसूली की गई राशी	पंजीकृत मामलों की संख्या	वसूली की गई राशी
अलार्म चेन पुलिंग (सेक- 141)	164	61500	169	71200	29	5900
रेल टिकट का अवैध कारोबार करना (सेक-१४३)	5	5000	33	-	12	0
अनधिकृत फेरी लगाना तथा भिक मांगना (सेक-144[1])	2253	1479380	3058	2780500	1085	745450
नशे या उपद्रव (सेक-१४५)	1002	23700	522	71000	54	8700
अतिचार (सेक-147)	1111	186000	560	180200	70	30200
लापरवाही से रेल यात्री के सुरक्षा को खतरा डालना (Sec-154)	28	26900	31	26200	19	8500
आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश (धारा-155)	308	65500	244	68200	20	2800
छत पर यात्रा (Sec-156)	529	109630	308	92700	18	7900
गलत पार्किंग (सेक-159)	1505	409630	1157	475800	234	94800
समपार फाटक खोलना या तोड़ना (धारा -160)	2	-	2	-	1	-
महिला डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश (धारा-162)	426	85850	252	71100	28	8900
अवैध रूप से खतरनाक सामान लाना (Sec-164)	0	0	0	0	0	0
धूम्रपान (धारा-167)	200	19500	255	27568	76	6700
नशे की हालत (सेक-172)	0	0	0	0	0	0
रेल परी चलन में बाधा और रेल रोकना करना (Sec-174)	64	26500	62	8500	59	12000
TOTAL	7597	131850	6650	107168	1705	27600

• रेलवे अधिनियम के तहत प्रदर्शन :

वर्ष	अलार्म चैन Sec-141)	महिला डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश (धारा-162)	आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश (धारा-155)
2018	164	426	308
2019	166	252	244
2020	29	28	20
वर्ष	छत पर यात्रा (Sec-156)	अतिचार (सेक-147)	रेल परी चलन में बाधा और रेल रोको करना (Sec-174)
2018	529	1111	64
2019	308	560	62
2020	18	70	59

III. रेलवे संपत्ति के खिलाफ अपराध:

• बुक की गई संपत्ति :

वर्ष	कितने मामले पंजीकृत किये	चोरी हुई संपत्ति की कीमत	शोध किये गए मामलों की संख्या	बरामद संपत्ति का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्ति	जांच के तहत मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य
2018	2	82500	01	22500	4	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0

• रेलवे संपत्ति:

वर्ष	कितने मामले पंजीकृत किये	चोरी हुई संपत्ति की कीमत	शोध किये गए मामलों की संख्या	बरामद संपत्ति का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्ति	जांच के तहत मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य
2018	31	7844018	30	142675	42	0	0
2019	36	159465	33	138765	44	0	0
2020	15	249514	14	225164	20	0	0

IV. टिकट जांच में आरपीएफ सहायता :

वर्ष	पकड़े गए लोग	ईएफटी के माध्यम से जुर्माना जारी किया गया
2018	101459	44038036
2019	98362	42479435
2020	23345	10671837

V. यात्री सामान की चोरी :

वर्ष	आरपीएफ द्वारा अनुरक्षित ट्रेनों से रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	अपराधियों की गिरफ्तारी के मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या
2018	152	131	131
2019	76	58	58
2020	19	4	4

वर्ष	आरपीएफ द्वारा गैर-एस्कॉर्ट ट्रेनों से रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	अपराधियों की गिरफ्तारी के मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या
2018	1024	39	60
2019	658	529	37
2020	141	04	06

VI. अलार्म चैन पुलिंग केस :

वर्ष	एसीपी घटनाओं की कल संख्या	आरपीएफ ट्रेन एस्कॉर्टिंग स्टाफ / एंबुश चेक द्वारा दर्ज मामलों की संख्या	जमा की जुर्माना राशि
2018	164	164	61500
2019	166	166	71200
2020	29	29	5900

VII. अप्रिय घटना दावा मामले:

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	CCO/SC को प्रस्तुत मामलों की संख्या
2018	38	38
2019	42	42
2020	18	18

VIII. रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामले :

• लेवल क्रॉसिंग पर

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या			
			चालान	जाँच मामले	अधीन	समाप्त की गये मामले
2018	02	02	0	0	02	0
2019	47	26	0	0	0	26
2020	32	29	0	0	10	19

• कार्य स्थलों पर

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या			
			चालान	जाँच मामले	अधीन	समाप्त की गये मामले
2018	30	28	0	0	15	13
2019	45	39	0	0	14	25
2020	70	42	0	0	05	37

IX. 2020 के दौरान आरपीएफ नांटेड मंडल द्वारा किया गए अछे कार्य

रेल टिकटों के अवैध कारोबारों के मामले: 2020

१) निरीक्षक नांदेड ने कर्मचारियों के साथ नांदेड क्षेत्राधिकार में ०३ दलालों को गिरफ्तार किया गया और १५३७६.१२ मूल्य के १५३७६.१२ और १६३ इस्तेमाल किए गए टिकटों के मूल्य १२२२७५६.११ की जब्ती के साथ गिरफ्तार किया गया और रेलवे अधिनियम की धारा १४३ के तहत मुकदमा चलाया गया।

2) निरीक्षक परभणी ने कर्मचारियों के साथ परभणी क्षेत्राधिकार में एक दलाल को गिरफ्तार किया, जिसमें 04 लाइव टिकट मूल्य ₹ 10492.6 और 126 प्रयुक्त टिकट मूल्य ₹ 178252.3 जब्त किए गए और रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया।

3) निरीक्षक जालना ने कर्मचारियों के साथ जालना क्षेत्राधिकार में एक दलाल को गिरफ्तार किया गया, जिसका 01 लाइव काउंटर टिकट मूल्य ₹ 1580 जब्त किया गया और धारा 143 रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया।

4) निरीक्षक औरंगाबाद ने कर्मचारियों के साथ औरंगाबाद क्षेत्राधिकार में 06 दलालों को गिरफ्तार किया, 45 लाइव टिकटों की जब्ती के साथ ₹ 60337.74 और 424 इस्तेमाल किए गए टिकट मूल्य ₹ 419820.3 और धारा 143 रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया।

5) निरीक्षक आदिलाबाद ने कर्मचारियों के साथ आदिलाबाद क्षेत्राधिकार में एक दलाल को गिरफ्तार किया, जिसमें 03 लाइव काउंटर टिकट मूल्य ₹ 8863.98 और 60 उपयोग किए गए टिकट मूल्य ₹ 138661.8 की जब्ती की गई और धारा 143 रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया।

बच्चों का बचाव: 2020

नांदेड मंडल में 24 लड़के और 11 लड़कियां जो घर से भाग गए / लापता हैं, को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है और उन्हें उनके माता-पिता को सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया है।

यात्री सामान की बरामदगी : 2020

नांदेड मंडल में 49 सामान बरामद हुआ और उसका मूल्य ₹ 624127/- और उसे सफलतापूर्वक मालिकों को सौंप दिया गया।

X. यात्री सुरक्षा जागरूकता अभियान: 2020

1. 16.01.2020 को सुरक्षा मंडल आयुक्त नांदेड द्वारा रेलवे परिसर परभणी में कर्मचारियों और मातृ सेवा फाउंडेशन परभणी के साथ परभणी रेलवे स्टेशन पर यात्री जागरूकता कार्यक्रम

आयोजित किया है। आरपीएफ/परभणी, जीआरपी/परभणी, यातायात पुलिस/परभणी और एसएस/परभणी द्वारा यात्रियों को शिक्षित संबोधित किया ।

2. 17.01.2020 स.उ.नि. वाशिम द्वारा रेलवे स्टेशन वाशिम पर यात्री जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। राजू वतन, प्रभारी/यातायात पुलिस, शहर/वाशिम ने सभा को संबोधित किया और यात्रियों को शिक्षित किया।

3. 23.02.2020 निरीक्षक/आदिलाबाद ने सरदार नगर और सुभाष में यात्री जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है । बाद स्थानीय पुलिस निरीक्षक / किनवट के साथ किनवट रेलवे स्टेशन पर शिक्षित यात्रियों को संबोधित किया ।

4. 08.03.2020 स.उ.नि./किनवट ने इस्लामपुर स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और एचईएम-एसएचएसके रेलवे स्टेशन के बीच किलीमीटर 64/1-2 पर एलसी गेट नंबर 10 के पास स्थित गणेशवाड़ी गांव के ग्रामीणों को संबोधित किया ।

5. 18.11.2020 निरीक्षक/नांदेड, निरीक्षक अपराध शाखा नांदेड, महिला उप.निरीक्षक नांदेड तथा स.उ.नि.नांदेड, और कर्मचारियों ने आरपीएफ पोस्ट, नांदेड पर "चाइल्ड लाइन के साथ दोस्ती" में भाग लिया और चाइल्ड लाइन, नांदेड के सदस्य वर्तमान कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा की गई ।

6. 18.11.2020 को DSC/NED ने DRM/NED, ADRM/NED और ASC/NED, IPF/NED, IPF/CIB/NED, SIPF/NED, WSIPF/NED, ASIPF/NED के साथ यात्री जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और कर्मचारियों ने भाग लिया साइबर सेल आरपीएफ/ नांदेड द्वारा रेलवे और सशस्त्र बलों में आरपीएफ की भूमिका के बारे में ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। DRM/NED और DSC/NED की देखरेख में 14 स्कूलों के लगभग 570 छात्रों ने भाग लिया।

7. 19.11.2020 उ.निरीक्षक/जालना द्वारा आरपीएफ पोस्ट, जालना में "दोस्ती विद चाइल्ड लाइन" में भाग लेने वाले यात्री जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है और जालना के "स्वराज ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान" के सदस्यों आरपीएफ और जीआरपी के साथ १४-२१ नवंबर - से बाल सप्ताहांत मनाया ।

8. 28.11.2020 को निरीक्षक/नांदेड ने, उ.नि.कसबे, महिला आरक्षक/आरसी, निरीक्षक/जीआरपी तथा स्टाफ, महिला सफाईवाला और अन्य रेलवे कर्मचारियों के साथ महिला एवं बाल विकास

विभाग, नांदेड़ द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया। जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा बच्चे के बचाव के लिए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है।